मुख्य अभियन्ता का कार्यालय,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण
जल संसाधन विभाग, कटिहार।
Email Id- cewrdpurnea@gmail.com

आमंत्रण सूचना सं0:– 01 कटिहार (शिविर–पूर्णिया), दिनांक :– 30-04- /2025

–: बाढ़ संघर्षात्मक कार्य (वर्ष–2025) हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना :–

मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, कटिहार/सालमारी/काढ़ागोला/भागलपुर/नवगछिया/बौंसी/बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमण्डल, पूर्णिया/किशनगंज के अधीन कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, बाँका, जमुई, लखीसराय एवं मुँगेर जिलान्तर्गत बहने वाली सभी नदियों यथा महानंदा, गंगा, कोसी, कारी कोसी, बराण्डी, कनकई, सौरा, बकरा, परमान, चंदन एवं अन्य नदियों के तटबंधो तथा अन्य संवेदनशील आक्राम्य स्थलों पर नामांकन के आधार पर वर्ष 2025 बाढ़ अवधि (01 जून 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक) में आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य (केवल श्रम अंश) कराने हेतु इच्छुक संवेदकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक संवेदक जल संसाधन विभाग में वैद्य निबंधन पत्र के साथ कार्य प्रमण्डलों का नाम उल्लेखित करते हुए आवेदन (मोबाईल संख्या/दूरभाष, ई–मेल का उल्लेख सहित) कर सकते है। श्रेणी–4 में जिला विशेष के पथ प्रमण्डल द्वारा निबंधित संवेदक संबंधित जिला में कार्य करने के लिए आवेदन दे सकते है। बाढ़ संघर्षात्मक कार्य आपातकालीन एवं जोखिम भरा कठिन कार्य होता है, इसलिए संवेदक सोच समझ कर आवेदन करेंगे।

परिक्षेत्राधीन नामांकण के आधार पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराने के लिए सूचीबद्ध करने हेतु निम्नालिखित अभिलेख/कागजात दिनांक–09.05.2025 से दिनांक–19.05.2025 के 5:00 बजे अपराह्न तक मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार शिविर–पूर्णिया के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है :–

(1) मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार को संबोधित आवेदन पत्र जिसमें मोबाईल नं0 एवं ई–मेल का उल्लेख हो।

(2) वैद्य निबंधन प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(3) नॉटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र जिसमें इस आशय का स्पष्ट उल्लेख हो कि **''कार्य मिलने पर वे स्वयं स्थल पर अपने संसाधनों (मजदूर आदि) के साथ 24 (चौबीस) घंटे मुस्तैद रहेंगे एवं ऐसा नहीं करने पर विभाग उनके विरूद्ध नियमानुकुल कार्रवाई कर सकती है।''** उक्त घोषणा का उल्लेख शपथ पत्र में नही रहने पर उनके आवेदन को मान्यता नही दी जायेगी।

(4) चरित्र प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

इच्छुक संवेदक द्वारा निर्धारित तिथि/समय के बाद एवं अन्य कार्यालयों में समर्पित आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे तथा उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **नॉटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र मूल में इस कार्यालय में जमा करना होगा।**

नोट :– (1) सूचीबद्धता के क्रमांक से कार्य में प्राथमिकता देने का कोई संबंध नही होगा।

(2) सूचीबद्ध होने मात्र से कार्य कराने हेतु किसी प्रकार दावा मान्य नही होगा

ह0/–
(अनवर जमील)
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक :– 1464 /कटिहार (शिविर–पूर्णिया), दिनांक :– 30-04 /2025

प्रतिलिपि :– जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को ई–मेल के माध्यम से सूचना की हार्ड प्रति एवं सॉफ्ट प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि संलग्न सूचना को विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में अतिशीध्र प्रकाशित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नक :– यथावत्।

30.4.25
(अनवर जमील)
मुख्य अभियन्ता

30-04-2025

मुख्य अभियन्ता का कार्यालय,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण
जल संसाधन विभाग, कटिहार।
Email Id- cewrdpurnea@gmail.com

आमंत्रण सूचना सं0:–...01.........कटिहार (शिविर–पूर्णिया), दिनांक :–30.04/2025

–: बाढ़ संघर्षात्मक कार्य (वर्ष–2025) हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना :–

मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, कटिहार/सालमारी/काढ़ागोला/भागलपुर/नवगछिया/बौंसी/बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमण्डल, पूर्णिया/किशनगंज के अधीन कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, बाँका, जमुई, लखीसराय एवं मुँगेर जिलान्तर्गत बहने वाली सभी नदियों यथा महानंदा, गंगा, कोसी, कारी कोसी, बराण्डी, कनकई, सौरा, बकरा, परमान, चंदन एवं अन्य नदियों के तटबंधो तथा अन्य संवेदनशील आक्राम्य स्थलों पर नामांकन के आधार पर वर्ष 2025 बाढ़ अवधि (01 जून 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक) में आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य (केवल श्रम अंश) कराने हेतु इच्छुक संवेदकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक संवेदक जल संसाधन विभाग में वैद्य निबंधन पत्र के साथ कार्य प्रमण्डलों का नाम उल्लेखित करते हुए आवेदन (मोबाईल संख्या/दूरभाष, ई–मेल का उल्लेख सहित) कर सकते है। श्रेणी–4 में जिला विशेष के पथ प्रमण्डल द्वारा निबंधित संवेदक संबंधित जिला में कार्य करने के लिए आवेदन दे सकते है। बाढ़ संघर्षात्मक कार्य आपातकालीन एवं जोखिम भरा कठिन कार्य होता है, इसलिए संवेदक सोच समझ कर आवेदन करेंगे।

परिक्षेत्राधीन नामांकण के आधार पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराने के लिए सूचीबद्ध करने हेतु निम्नालिखित अभिलेख/कागजात दिनांक–09.05.2025 से दिनांक–19.05.2025 के 5:00 बजे अपराहन तक मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार शिविर–पूर्णिया के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है :–

(1) मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार को संबोधित आवेदन पत्र जिसमें मोबाईल नं0 एवं ई–मेल का उल्लेख हो।
(2) वैद्य निबंधन प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
(3) नॉटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र जिसमें इस आशय का स्पष्ट उल्लेख हो कि **"कार्य मिलने पर वे स्वयं स्थल पर अपने संसाधनों (मजदूर आदि) के साथ 24 (चौबीस) घंटे मुस्तैद रहेंगे एवं ऐसा नहीं करने पर विभाग उनके विरूद्ध नियमानुकुल कार्रवाई कर सकती है।"** उक्त घोषणा का उल्लेख शपथ पत्र में नही रहने पर उनके आवेदन को मान्यता नही दी जायेगी।
(4) चरित्र प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

इच्छुक संवेदक द्वारा निर्धारित तिथि/समय के बाद एवं अन्य कार्यालयों में समर्पित आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे तथा उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **नॉटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र मूल में इस कार्यालय में जमा करना होगा।**

नोट :– (1) सूचीबद्धता के क्रमांक से कार्य में प्राथमिकता देने का कोई संबंध नही होगा।
(2) सूचीबद्ध होने मात्र से कार्य कराने हेतु किसी प्रकार दावा मान्य नही होगा

30.4.25
(अनवर जमील)
मुख्य अभियन्ता

30.4.25